भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 561

उत्तर देने की तारीख: 06/02/2023

जीईआर के अनुसार राज्यों को निधि का आवंटन

†561. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत का सकल नामांकन अनुपात केवल 27 प्रतिशत है जबकि तमिलनाडु का सकल नामांकन अनुपात 51.4 प्रतिशत है लेकिन राज्यों को आवंटित निधियां जीईआर प्रदर्शन पर आधारित नहीं हैं, बल्कि राज्य की कुल आबादी पर आधारित हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के बड़े राज्यों के संबंध में जीईआर की तुलना क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और
(घ) क्या सरकार की शिक्षा के सतत मात्रात्मक और गुणात्मक विकास हेतु विभिन्न राज्यों को शिक्षा उपकर अथवा भारत की समेकित निधि से निधियां आबंटित करने की कोई योजना है ताकि नई शिक्षा नीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुभाष सरकार)

(क) और (ख): उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए 2011 के जनसंख्या अनुमानों के आधार

पर उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 27.3 है। राज्यवार जीईआर https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

उच्चतर शिक्षा में, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारें इस योजना के तहत निर्धारित मानदंडों के आधार पर अपने संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र की पहचान की गई आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। प्रस्तावों का अनुमोदन रूसा के परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, बोर्ड के सदस्य के रूप में भाग लेते हैं।

(ग) विगत पांच वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2021-22 के दौरान रूसा के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की गई निधि का विवरण https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का समर्थन और परिकल्पना करती है। शिक्षा क्षेत्र में 6% सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर काम करते हैं।

"वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक शिक्षा संबंधी बजटीय व्यय का विश्लेषण" प्रकाशन के अनुसार, वर्ष 2020-21 में शिक्षा संबंधी सार्वजनिक व्यय (केंद्र और राज्य) जीडीपी का 4.64% है जो वर्ष 2013-14 में 3.84% था (जो कि इस अवधि के दौरान लगभग 21% की समग्र वृद्धि है) ।

इस संबंध में, शिक्षा मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है।

*****